



राजस्थान सरकार
कार्मिक (क-1/गो0प्र0) विभाग

क्रमांक प. 13(51) कार्मिक/क-1/गो.प्र./2022

जयपुर, दिनांक: 30 MAR 2022

—:परिपत्र:—

विषय:— राज्य सेवा के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन राजकाज सॉफ्टवेयर द्वारा ऑनलाईन भरे जाने बाबत।


कार्मिक विभाग द्वारा पूर्व में जारी परिपत्र क्रमांक प. 13(51) कार्मिक/क-1/गो.प्र./2017 दिनांक 12.07.2017 के क्रम में राजस्थान प्रशासनिक सेवा के साथ-साथ राज्य सेवा के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा वर्ष 2021-22 से कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन (APAR) राजकाज सॉफ्टवेयर द्वारा ऑनलाईन भरा जावेगा एवं सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रतिवेदन (APAR) में निश्चित समयावधि में टिप्पणी का अंकन नहीं किये जाने की दशा में Auto Forward/Approval प्रणाली अपनायी जावेगी।

राज्य सेवा के समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी अपने एसएसओ आईडी के द्वारा लॉग इन कर राज-काज सॉफ्टवेयर के APAR Module में स्वयं के कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन के अनुक्रम में चैनल अनुसार प्रतिवेदक, समीक्षक व स्वीकारकर्ता प्राधिकारी नियत करेंगे एवं प्रतिवेदन चैनल अनुसार पूर्ण कर अगले स्तर पर अग्रेषित करेंगे। प्रतिवेदित द्वारा निश्चित समयावधि में प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में प्रतिवेदक अधिकारी द्वारा भी स्वयं के स्तर पर प्रतिवेदन टिप्पणी कर अग्रेषित किया जा सकेगा।

प्रतिवेदक, समीक्षक एवं स्वीकारकर्ता प्राधिकारी द्वारा निश्चित समयावधि में अपनी टिप्पणी अंकित किया जाना जरूरी है, अन्यथा प्रतिवेदन बिना टिप्पणी/ग्रेडिंग के Auto Forward/Approval प्रणाली से अग्रिम स्तर पर अग्रेषित हो जायेगा।

वर्ष 2021-22 से टंकित एवं डाक द्वारा प्रेषित कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन स्वीकार नहीं किये जावेगे। परंतु जिन अधिकारियों के निर्धारित चैनल में यदि माननीय जनप्रतिनिधि की टिप्पणी अंकित किया जाना आवश्यक हो उनके प्रतिवेदन ऑफलाईन भी भरे जा सकेंगे।

अतः राज्य सेवा के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि वे अपने वर्ष 2021-22 से कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन राज-काज सॉफ्टवेयर के APAR Module में निश्चित समयावधि में आवश्यक रूप से ऑनलाईन भरा जाना सुनिश्चित करेंगे। राज-काज सॉफ्टवेयर द्वारा ऑनलाईन कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन भरने की प्रक्रिया पृथक से जारी की जावेगी।


30/3/22

(हेमन्त कुमार गेरा)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
3. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव।
4. समस्त अति. मुख्य सचिव / प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव / उप शासन सचिव।
5. समस्त विशिष्ट सहायक / निजी सचिव, माननीय मंत्री / राज्य मंत्री / संसदीय सचिव।
6. समस्त संभागीय आयुक्त।
7. समस्त विभागाध्यक्ष (जिला कलक्टरों सहित)
8. प्रशासनिक सुधार (कोर्डिफिकेशन) विभाग अनुभाग-7 कापियों सहित।
9. एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर, कार्मिक (कम्प्यूटर) विभाग।
10. तकनीकी निदेशक, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग जयपुर।


30/3/22
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को भी प्रेषित है :-

1. सचिव, राजस्थान विधान सभा जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
3. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
4. अतिरिक्त पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ, जयपुर।
5. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।
6. पंजीयक राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय न्यायाधिकरण जयपुर।
7. निबन्धक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
8. समस्त राजस्व अपील अधिकारी, अतिरिक्त कलक्टर, उपखण्ड अधिकारी, सहायक कलक्टर राजस्थान।
9. रक्षित पत्रावली।


30/3/22
संयुक्त शासन सचिव